

157  
19

पहावली प्रस्तुत हुई। वादी जी पनालात  
 जगता उपस्थित। वादी को यह  
 विज्ञे प्रा. पत्र पढकर सुनाया  
 गया, जिसे वादी ने सुन-समझना  
 कर रही होना स्वीकार किया।  
 वादी की प्रधान अधिवक्ता श्री  
 ड. क. वैभव जी द्वारा की गई  
 शर्त: वादी की स्वीकारोक्ति के  
 आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत  
 यह विज्ञे प्रा. पत्र स्वीकार किया  
 गया है। तथा यदि वे विज्ञे  
 करने की अनुमति दी जाती है।  
 पहावली के अंत सुनाया गया  
 गया है।

पनालात



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक  
 बायोमेट्रिक (फास्ट-ट्रैक) बड़ासादही चित्तौड़गढ़